UPBS040043632011

न्यायालय C.J.M., Basti

पीठासीन अधिकारी– (UMESH YADAV) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा –** UP02133

Warrant Case/2902231/2008
मु०सं०-2231/2008
सरकार बनाम राजेन्द्र प्रसाद सिंह आदि
धारा–504, 506 भा०दं०सं०
थाना–पुरानी बस्ती, जनपद–बस्ती।

11-09-2021

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

वादी मुकदमा संतोष कुमार चौधरी व अभियुक्तगण राजेन्द्र प्रसाद सिंह, दिनेश सिंह, साधू सिंह एवं योगेन्द्र शुक्ला न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उनकी तरफ से आवेदन अन्तर्गत धारा 320 दं०प्र०सं० दिनांकित 11-09-2021 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि पक्षकरों के मध्य सुलह हो गयी है। सुलहनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। उभयपक्ष के मध्य अब किसी तरह का कोई विवाद नही रह गया है। उपरोक्त वर्णित कथन करते हुए मुकदमा सुलहनामा के आधार पर समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया है। मामला शमनीय प्रकृति का है तथा पत्रावली के परिशीलन से सन्धि पत्र के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाना विधि के प्रावधानों के अनुकूल है। अतः वादी मुकदमा सन्तोष कुमार चौधरी एवं अभियुक्तगण राजेन्द्र प्रसाद सिंह, दिनेश सिंह, साधू सिंह एवं योगेन्द्र शुक्ला की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-320 दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

वादी मुकदमा सन्तोष कुमार चौधरी एवं अभियुक्तगण राजेन्द्र प्रसाद सिंह, दिनेश सिंह, साधू सिंह एवं योगेन्द्र शुक्ला की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 320 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है तथा मु०अ० संख्या-99 ए/08, अन्तर्गत धारा 504, 506 भा०दं०सं० के मामले में अभियुक्तगण राजेन्द्र प्रसाद सिंह, दिनेश सिंह, साधू सिंह एवं योगेन्द्र शुक्ला को दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण का जमानतनामा निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभू को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है। समुचित कार्यवाही उपरान्त पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाय।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्ती।